R/ ... (6)

श्रीगोपाल जोशी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2440–एक/13 जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.5.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, देवास के अपील प्रकरण क्रमांक 26/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17–5–13 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के मुख्य तर्क हेतु नियत किया गया है और अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है । विलंब क्षमा करना अधीनस्थ न्यायालय का विवेकाधिकार है और उसमें हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है जब उसका उपयोग विधि विरूद्ध तरीके से किया गया हो । इस प्रकरण में ऐसा नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है । सदस्य	

अध्यक्ष महोदय, म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् [कलेक्टर महोदय, जिला देवास, देवास (म.प्र.)]

प्र.कं.

शीर्षक R 2440-I/13

बालू पिता मुन्ना
कैलाश पिता बालू
निवासी– ग्राम नरखेड़ी, हाल ग्राम कोलूखेड़ी,
तहसील व जिला देवास (म.प्र.) . . . .**रिविजनकर्ता**

विरुद्ध

मनोज पिता बालू
सीताबाई उर्फ छीताबाई पति बालू
निवासी– ग्राम राजोदा, तहसील व जिला देवास (म.प्र.) . . . **प्रतिरिविजनकर्ता**

क्रमां
रजिस
दिनां

राजस